बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–19.06.26

सं0सं0–प्र0–I–रा0(आ0)–10/2024–....................../एम0, दिनांक 24.11.2024 को सारण जिलान्तर्गत बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की जाँच निदेशक, खान एवं जिला प्रशासन, सारण द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उक्त जाँच में अवैध बालू से लदे वाहनों के साथ कई अन्य वाहन भी जप्त किये गये। जाँच में अवैध धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 15 लाख सी0एफ0टी0 बालू जप्त किया गया एवं जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की वसूली की गई। इतने बड़े स्तर पर बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिक शास्त्री), तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति मुख्यालय द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया गया। श्री प्रसाद द्वारा बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरती गयी, जबकि इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं VC के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु सार्थक कार्रवाई के लिए निदेशित किया जाता रहा है। श्री प्रसाद के इस कृत्य हेतु उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 67 दिनांक 08.01.2025 से उनसे आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर बचाव बयान/लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उनके द्वारा दिनांक 21.01.2025 को समर्पित लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 दिनांक 04.03.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री लाल बिहारी प्रसाद, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 05/एम0, दिनांक 29.11.2025 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया,जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का अभिमत दिया गया। प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय पत्रांक 7644/एम0 दिनांक 17.12.2025 एवं स्मार पत्र 558/एम0, दिनांक 21.01.2026 से आरोपित पदाधिकारी श्री लाल बिहारी प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा विभागीय पत्र के आलोक में दिनांक 28.01.2026 को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। श्री प्रसाद यह तर्क दिया गया है कि अवैध खनन के विरूद्ध अनेक छापामारी की गई परन्तु श्री प्रसाद द्वारा किये छापामारी

का अवैध खननकर्त्ताओं पर कोई रोधक प्रभाव नहीं पड़ा। दिनांक–24.11.2024 को निदेशक, खान एवं जिला प्रशासन द्वारा किये गये संयुक्त छापामारी में वृहत मात्रा में अवैध बालू से लदे वाहनों को जप्त किया गया एवं अवैध धंधे से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 15 लाख CFT बालू जप्त किया गया एवं जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की भी वसूली की गई। इतने अधिक मात्रा में जप्त बालू यह दर्शाता है कि प्रसाद का आसूचना तंत्र बहुत ही कमजोर था। इतने अधिक मात्रा में अवैध खनन एवं परिवहन का कारोबार चल रहा था, जिसकी खबर खनिज विकास पदाधिकारी सारण को नहीं होना उनके लापरवाही/संलिप्तता को दर्शाता है। इस प्रकार श्री लाल बिहारी प्रसाद, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति मुख्यालय के तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता है एवं उनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिक शास्त्री), तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति मुख्यालय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम–14(v) के तहत **''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक''** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–10/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–10/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–10/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सारण को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–10 / 2024–........................ / एम0, पटना, दिनांक........................
प्रतिलिपिः–श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिक शास्त्री), तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–10 / 2024–3915 / एम0, पटना, दिनांक 19.06.26
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / राजपत्रित स्थापना (मु0) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/24

सरकार के अपर सचिव।

19.6.26